



दूरभाष व फ़ैक्स: (01342) 260434

ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 1362/1-25/जनरल-2024

दिनांक : 28-2-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

लखनऊ।

विषय-मैसर्स विन मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109 ग्राम-फ़िरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Lادfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना के लिये परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा की अध्यक्षता में दिनांक-27.02.2024, समय 12:30 बजे, स्थल ग्राम-फ़िरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा पर आयोजित लोक सुनवाई के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 03545/सी-7/एन०ओ०सी०-762 /2023 दिनांक 04.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में मैसर्स विन मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109 ग्राम-फ़िरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Lادfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना के लिये परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा की अध्यक्षता में नियत दिनांक-27.02.2024, समय 12:30 बजे, स्थल ग्राम-फ़िरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा पर आयोजित करायी गयी तथा उक्त सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त, उपस्थिति पंजिका, फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी की पेन ड्राईव दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)

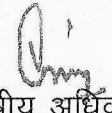
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा।

2. सदस्य सचिव महोदय, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा।


क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स विन मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109 ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Landfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना के लिये परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा की अध्यक्षता में दिनांक-27.02.2024 को स्थल ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश पर आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:-

मैसर्स विन मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109 ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Landfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना सम्बन्धी परियोजना का प्रस्ताव राज्य बोर्ड में प्राप्त कराया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-1533, दिनांक-14.09.2006 यथा संशोधित एस०ओ०-3067(ई) दिनांक-01.12.2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही सम्बन्धित बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 03545/सी-7/एन०ओ०सी०-762/2023 दिनांक 04.12.2023 के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा द्वारा लोक सुनवाई हेतु दिनांक-27.02.2024 समय 12:30 बजे, स्थल ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा नियत की गयी तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा को नामित किया गया। प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थल के संबंध में आम सूचना स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों, दैनिक जागरण (हिन्दी) एवं दि इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली (अंग्रेजी) के दिनांक-06.01.2024 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी, जो कि संलग्न है (संलग्नक-1)। जिसमें समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को अपनी मौखिक व लिखित सुझाव व अपत्तियाँ 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की प्रक्रिया उक्त निर्धारित दिनांक-27.02.2024 एवं समय पर नियत स्थल पर आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजिका संलग्न है (संलग्नक-2)। लोक सुनवाई की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित आम जनता का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा उपस्थित समस्त को अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-1533, दिनांक-14.09.2006 यथा संशोधित एस०ओ०-3067(ई) दिनांक-01.12.2009 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव (CHWTSDF) की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई की कार्यवाही कराया जाना प्राविधानित है, उक्त के अनुक्रम में लोक सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आम जनता को अवगत कराया गया कि मैसर्स विन मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Landfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उपस्थित

M. Wain
AEE

Original
Rd

पर्यावरण संरक्षण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दिये जाने के क्रम में प्रस्तुतिकरण हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन दस्ता गुप्ता को आमन्त्रित किया गया। पर्यावरणीय परामर्शी श्रीमती दक्षा गुप्ता द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना के बारे में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना खसरा नं०-100, 101, 102, 104, 107, 108, 109 ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा में Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) with Secured Landfill (SLF), Used Oil Recycling, MEE and Preprocessing for Coprocessing की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, जिसका कुल प्लॉट एरिया 27770 वर्ग मीटर (2.77 हैक्टेयर), इकाई की लैंडफिल क्षमता 134643.33 मीट्रिक टन की है तथा 02 मीट्रिक टन/दिन उपयोग में लिये गये यूज्ड ऑयल की रिसाईकिल एवं लिचेट/उत्प्राव हेतु एम0ई0ई0 (क्षमता 10 कि०ली०/दिन) की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

इस परियोजना में भूमिगत जल/वायु गुणता की लगातार मॉनिटरिंग की जायेगी, जिससे भूमिगत जल एवं वायु गुणता दूषित न हो सकें। इकाई की कुल भूमि का लगभग 40 प्रतिशत एरिया पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। इकाई में सभी प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थायें स्थापित की जायेगी। इकाई द्वारा कार्पोरेट सोसल रिस्पॉन्सबिलिटी (सी०एस०आर०) के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की कुल लागत का लगभग 02 प्रतिशत पर्यावरण कार्यक्रमों पर खर्च किया जायेगा। इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी सभी गाइड लाइन्स का अनुपालन किया जायेगा। इकाई में आने वाली सभी गाड़ियों में ऑनलाइन ट्रैकिंग संयंत्र स्थापित किया जायेगा, जिससे गाड़ियों की सुचारु रूप से मॉनिटरिंग की जा सकेंगी।

प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। ध्वनि स्तर को कम करने के लिये नियमित अंतराल में मशीनों का रख-रखाव, ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। श्रीमती दक्षा गुप्ता पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था परियोजना में समावेशित है। पर्यावरण के सभी घटकों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि का ऑकलन करते हुये सम्बन्धित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित प्रस्ताव पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या (इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट) में दिये गये हैं, इस प्रकार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परिवेशीय वातावरण में कोई दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा उपस्थित जनसमूह से उक्त परियोजना से सम्बन्धित कोई आपत्ति/प्रश्न/सुझाव/टिप्पणी आदि देने हेतु अनुरोध किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा भी उपस्थित जनसमूह से उक्त परियोजना से सम्बन्धित कोई आपत्ति/प्रश्न/सुझाव/टिप्पणी आदि देने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित जन समूह में से प्रश्न एवं उत्तर का विवरण निम्नवत् रहा:-

सुझाव-1 श्री जगदीश कुमार, निवासी ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा द्वारा इकाई लगने पर खुशी व्यक्त करते हुये कहा कि इस इकाई के निर्माण होने से हमें कोई परेशानी/आपत्ति नहीं है तथा इससे तो हमारा फायदा ही होगा। गांव का विकास होगा व रोजगार मिलेगा।

सुझाव-2 श्री हरज्ञान सिंह, निवासी ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा द्वारा कहा गया कि इकाई के निर्माण होने से हमें कोई परेशानी/दिक्कत नहीं है।

सुझाव-3 श्री करन सिंह, निवासी ग्राम-फिरोजपुर गंडावली, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा द्वारा कहा गया कि इकाई के निर्माण होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है।

M. W. S.
AEE

Big
R.O

सुझाव-4 श्री कनर निवासी ग्राम-स्याली जागीर, अमरोहा द्वारा कहा गया कि इकाई के निर्माण होने से कोई दिक्कत नहीं है।

सुझाव-5 श्री धमेन्द्र कुमार, ग्राम-सदुल्लापुर, अमरोहा द्वारा कहा गया कि इकाई के निर्माण होने से कोई दिक्कत नहीं है।

सुझाव-6 श्री कमरू, ग्राम-कसेरुवा, अमरोहा द्वारा कहा गया कि इकाई के निर्माण होने से कोई दिक्कत नहीं है।

सुझाव-7 श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम-सदुल्लापुर, अमरोहा द्वारा कहा गया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है।

प्रश्न-8 श्री यशपाल सिंह राणा, ग्राम-सदेवलपुर गडावली, अमरोहा द्वारा पूछा गया कि इकाई में कार्य करने हेतु व्यक्ति यहां से रखे जायेंगे या बाहर से लाकर रखे जायेंगे।

उत्तर-इकाई प्रतिनिधि श्री अनवर के द्वारा बताया गया कि इकाई संचालन के उपरान्त आस-पास के पड़े लिखे टेक्नीकल लोगों को रोजगार हेतु वरीयता दी जायेगी तथा आस-पास क्षेत्र के लोगों को योग्यता अनुसार ही कार्य प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न-9 श्री सचिन कुमार, गजरौला, अमरोहा द्वारा पूछा गया कि इकाई में कोई चिमनी/बॉयलर की स्थापना की जायेगी या नहीं।

उत्तर-इकाई के पर्यावरणीय परामर्शी श्रीमती दक्ष गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में गैस फायर्ड आधारित 02 टन/घंटा क्षमता का बॉयलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई मानकों के अनुरूप रखे जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न-10 श्री मुस्तकीम अहमद, निवासी ग्राम-अल्लीपुर, जिला-अमरोहा द्वारा पूछा गया कि ये जो लोक सुनवाई हो रही है, इसमें नगर पालिका परिषद के चैयरमैन क्यों नहीं बुलाया गया।

उत्तर-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई की प्रस्तावित लोक सुनवाई की सूचना नियत दिनांक से 30 दिवस पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी, जिसमें आमजन को उक्त लोक सुनवाई हेतु सूचना दी गयी थी, कि जो व्यक्ति चाहे वह स्वयं लोक सुनवाई में उपस्थित हो सकता है।

प्रश्न-11 चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतवर्ष, भारतीय किसान यूनियन शंकर द्वारा प्रस्तावित इकाई स्थल पर इकाई की स्थापना किये जाने हेतु आपत्ति जताई गयी तथा उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित इकाई की स्थापना से प्रदूषण होगा तथा किसान भाइयों को अधिक परेशानी होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रस्तावित इकाई की स्थापना किये जाने का विरोध किया गया। उनके द्वारा एक लिखित शिकायत/आपत्ति अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा को लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।

प्रश्न-12 श्री मनोज कुमार, प्रथम तल-एम.एम.आई.जी.-145, रामगंगा विहार, मुरादाबाद द्वारा उक्त इकाई की स्थापना के संबंध में आपत्ति जताई गयी तथा उनके द्वारा एक लिखित शिकायत/आपत्ति दिनांक-27.02.2024 को सीधे क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर कार्यालय में प्रस्तुत की गयी, जो कि संलग्न है (संलग्नक-4)।

Murain
AEE

R.D

उपस्थित जन सामान्य से इकाई की समस्या के सम्बन्ध में राय/आपत्ति/सुझाव देने हेतु पुनः अनुरोध किया गया।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा इकाई के पर्यावरणीय प्रदूषण से पूछा गया कि इकाई में स्टीम कहा से ली जायेगी।

पर्यावरणीय परामर्शी श्रीमती दक्षा गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में गैस फायर्ड आधारित 02 टन/घंटा क्षमता का बॉयलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई मानकों के अनुरूप रखे जाने का प्रस्ताव है। उक्त बॉयलर में ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग किया जायेगा। इकाई में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 100 के०वी०ए० क्षमता का गैस फायर्ड जनरेटर एवं सोलर सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा इकाई के पर्यावरणीय परामर्शी से पूछा गया कि इकाई में दुर्गन्ध की समस्या के लिये क्या किया जायेगा।

पर्यावरणीय परामर्शी श्रीमती दक्षा गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्ड फिल साइट में प्रायः दुर्गन्ध की समस्या नहीं रहती है। इकाई में जैसे ही अपशिष्ट आयेगा उसको स्टेबलाइज्ड किया जायेगा, जिससे दुर्गन्ध की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

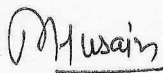
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा से लोकसुनवाई के सम्बन्ध में अभिमत प्रदान किये जाने तथा जन सामान्य से इकाई की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में राय प्राप्त किये जाने का पुनः अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन सामान्य का धन्यवाद किया गया। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा अवगत करवाया गया कि सरकार की योजना रहती है कि इकाई की स्थापना से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, परन्तु पर्यावरण एवं आस-पास के जन मानस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा किसी प्रकार की दुर्गन्ध/बदबू की समस्या उत्पन्न न हो। इकाई द्वारा पेड़ लगाये जाये तथा सी०एस०आर० के अन्तर्गत रोड बनायी जाये, बाहर के लोगों के बजाय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पर रोजगार का अवसर दिया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा इकाई के प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित जनों से पुनः सुझाव/आपत्ति मांगी गई। प्रस्तावित इकाई स्थल पर उपस्थित क्षेत्रवासियों/जन-मानस द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा लोक सुनवाई की बैठक में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

उक्त लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की पेन ड्राईव एवं फोटोग्राफ्स संलग्न हैं (संलग्नक-5)।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(माहिर हुसैन)

सहा० पर्या० अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर



(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर



(माया शंकर यादव)

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
अमरोहा